संख्या-29/001/101डब्लू-26-27-3005-122-2023

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 16 जून, 2026

विषयः एल0ए0 वाद संख्या-200/1987, निष्पादनवान संख्या-81/2017 पवन कुमार पुत्र बुद्ध सिंह (मृतक) बनाम उ0प्र0 सरकार में धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-217/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/पूर्वीगंगा, दिनांक 26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सिंचाई खण्ड, बिजनौर से संबंधित प्रथम अपील सं0 318/1994 बुद्ध सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 के अनुपालन हेतु एवं निष्पादन वाद सं0-81/2017 पवन कुमार पुत्र बुद्ध सिंह (मृतक) बनाम उ०प्र० सरकार में मा0 लारा कोर्ट, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2025 एवं 18.05.2026 के अनुपालन में याची की डिक्रीटल धनराशि अण्डर प्रोटेस्ट मा0 लारा कोर्ट, मुरादाबाद में जमा करने हेतु धनराशि रूपये 89,88,015.00 (नवासी लाख अठ्ठासी हजार पन्द्रह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त धनराशि अण्डर प्रोटेस्ट जमा करने के साथ यह अनुरोध किया जाय कि प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन पुनर्विचार याचिका के अंतिम रूप से निस्तारण तक उपरोक्त धनराशि याची को भुगतान न किया जाय। अग्रतर कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 89,88,015.00 (नवासी लाख अठ्ठासी हजार पन्द्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-19-050-10-16-24 पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली।

(6) मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद।

(7) अनु सचिव एवं नोडल अधिकारी, ऑनलाईन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, बिजनौर।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण मण्डल, हरिद्वार।

(10) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।